बिहार सरकार
विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

पत्रांक – वि० प्रा० (III) विविध–13/2025/ 3967 **/पटना, दिनांक–** 10.7.26

प्रेषक,

गोपाल प्रसाद साह,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य,
राजकीय पोलिटेकनिक, शेखपुरा/सहरसा/मुंगेर/वैशाली/खगड़िया एवं मोतिहारी, पूर्वी चम्पारण।

विषय – M.Tech/Ph.D कोर्स में नामांकन किये जाने/पूर्णकालीन से अंशकालीन मोड में परिवर्तन किये जाने हेतु विभागीय अनुमति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि निम्नलिखित सूची के स्तम्भ–2 में अंकित व्याख्याताओं/विभागाध्यक्षों को स्तम्भ–3 में उल्लिखित प्रयोजन हेतु निम्न शर्तों के अधीन विभागीय अनुमति प्रदान की जाती हैः–

क्र० सं०	**व्याख्याता का नाम/पदनाम/पदस्थापित संस्थान का नाम**	**NOC का प्रयोजन**	**कोर्स प्रारंभ करने का वर्ष/तिथि**
1	**2**	**3**	**4**
1.	पुनीत कुमार, व्याख्याता (इलेक्ट्रॉनिक्स), राजकीय पोलिटेकनिक, शेखपुरा।	BIT, Mesra, Patna Campus से अंशकालीन Ph.D कोर्स में नामांकन हेतु।	2026
2.	ज्योति मणि, व्याख्याता (इलेक्ट्रॉनिक्स), राजकीय पोलिटेकनिक, सहरसा।	IIIT, Bhagalpur से अंशकालीन Ph.D कोर्स के लिए आवेदन करने हेतु।	2026
3.	नवीन कुमार, व्याख्याता (इलेक्ट्रॉनिक्स), राजकीय पोलिटेकनिक, मोतिहारी, पूर्वी चम्पारण।	IIIT, Bhagalpur से अंशकालीन M.Tech कोर्स के लिए आवेदन करने हेतु।	2026
4.	माधव कुमार, व्याख्याता (विद्युत अभि०), राजकीय पोलिटेकनिक, मुंगेर।	IIT, Patna से अंशकालीन Ph.D कोर्स में नामांकन हेतु।	2026
5.	ऋतिक चन्द्रा, व्याख्याता (यांत्रिकी अभि०), राजकीय पोलिटेकनिक, वैशाली।	IIT, Patna से अंशकालीन Ph.D कोर्स में नामांकन हेतु।	2026
6.	अजीत कुमार, व्याख्याता (यांत्रिकी अभि०), राजकीय पोलिटेकनिक, खगड़िया।	IIT, Patna से अंशकालीन Ph.D कोर्स में नामांकन हेतु।	2026

(i) अंशकालीन M.Tech/M.E/Ph.D कार्यों का निष्पादन संस्थानीय अवकाश के दिनों में ही करेंगे। यदि अवकाश के दिनों में भी इन शिक्षकों की आवश्यकता संस्थान में होती है तो इस स्थिति में विभाग द्वारा उपरोक्त अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी। प्राचार्य इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। यदि इनका उल्लंघन किया जाता है तो संबंधित शिक्षकों के विरूद्ध कड़ी अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा प्राचार्य द्वारा की जायेगी।

(ii) संबंधित शिक्षकों के द्वारा किये जा रहे पठन–पाठन का कार्य एवं अन्य आवंटित दायित्व बाधित नहीं होना चाहिए।

(iii) सरकार द्वारा इस हेतु किसी प्रकार के वित्तीय भार का वहन नहीं किया जायेगा।

(iv.) अवकाश अवधि का यह तात्पर्य नहीं है कि रविवार को संस्थानीय अवकाश मानते हुए शनिवार और सोमवार को अपने कर्तव्य से अनुपस्थित रहेंगे।

(v.) M.Tech/M.E/Ph.D पूरा करने के उपरांत 05 (पाँच) वर्ष तक विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार, पटना की सेवा करना अनिवार्य होगा, अन्यथा बीच में सेवा छोड़ने पर 20 (बीस) लाख रूपये सरकारी कोष में जमा करना अनिवार्य होगा।

(vi) अंशकालीन M.Tech/M.E/Ph.D करने की अवधि में विशेष परिस्थिति को छोड़कर अन्य अवकाश एवं शिशु देखभाल अवकाश (महिला शिक्षकों के लिए) का उपभोग नहीं किया जाएगा।

विश्वासभाजन,

09.07.26

(गोपाल प्रसाद साह)
सरकार के अवर सचिव।